भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 662
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण

662. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं के विश्वास और सम्मान को बहाल करने के लिए उक्त अवधि के दौरान इस संवेदनशील मामले में कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग): देश में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) बनाया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम और निवारण करना है। इस अधिनियम में सभी महिलाओं को उनकी आयु, रोजगार की स्थिति या काम की प्रकृति चाहे सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत पर ध्यान दिए बिना, शामिल किया गया है। अधिनियम में सभी कार्यस्थलों, सार्वजनिक या निजी, के नियोक्ता पर यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य माहौल प्रदान करने का दायित्व डाला गया है, जिसमें प्रत्येक नियोक्ता को एक आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करने का अधिदेश दिया गया है जहां कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक है। इसी तरह, उपयुक्त सरकार को दस से कम कर्मचारियों वाले संगठनों से या स्वयं नियोक्ता के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (एलसी) गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है। अधिनियम में नियोक्ताओं सहित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधानों सहित मामले के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

अधिनियम नियोक्ताओं पर अधिनियम के प्रावधानों और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के साथ कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का दायित्व डालता है। इसके अलावा, नोडल मंत्रालय होने के नाते, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समय-समय पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एडवाइजरी जारी करता है।

अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के सभी मामलों के संबंध में दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या का डेटा रखने के लिए जिला और राज्य स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उपयुक्त राज्य सरकार की है। दर्ज किए गए और निपटाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****